

का खारिज करते हुए अदालत ने दिए आदेश झूठी शिकायतों से सख्ती से, डीजीपी जांच कराएं: हाईकोर्ट

नैतिक चलन को रोकने की जरूरत

टस बराड ने फैसले में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का माल उल्पीइन के लिए नहीं किया जा सकता। झूठी शिकायत कर कोर्ट केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी सख्तियों के अनैतिक चलन को रोकने के लिए जरूरत है। झूठे केसों में फंका करना बहुत मुश्किल है। झूठे केसों के चलन से सच्ची याचिका करने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। झूठी शिकायतों से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

घंटे 51 एफआईआर: नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी शिकायतों के खिलाफ अपराध की स्थिति भयावह होती है। अकेले वर्ष 2022 में 4,45,256 केस दर्ज हुए। इसका मतलब हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। इससे यह भी पता चल रहा है कि महिलाएं हीसला कर शिकायत करने के लिए सामने आ रही हैं। दूसरी झूठी शिकायतों के चलते जांच एजेंसी और अदालतें मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे में झूठी शिकायतों पर सख्ती की जरूरत है।

जीवन यापन के अधिकार में दखलअंदाजी:

हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया जाता है उसे समाज में दागदार जीवन जीने का दर्शा झेलना पड़ता है। हर लम्हा डर और भय का माहौल बना रहता है। किसी की प्रतिष्ठा पर बेवजह सवाल उठाना उसके शान से जीवन यापन के अधिकार में दखलअंदाजी है।

आरोप: हनी ट्रैप का रिकेट चला रही महिला:

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि चंडीगढ़ जिला अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला ने अकेले जाँद में यौन उत्पीड़न की 19 शिकायतों की थी। इस तरह महिला हनी ट्रैप का रिकेट चला रही है और मामूली लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है।

तनाव, डिप्रेशन या किसी और समस्या से हैं परेशान; तो बात करें

टीनटॉक एक्सपर्ट्स से

MON-SAT
8:00 AM - 10:00 PM

Chat/Call के लिए लॉग इन करें

www.teentalkindia.com

An initiative by

Dainik Bhaskar GROUP | **teentalkindia.com**

संत वकील साहब को दी समाधि, जगमालवाली डेरा में हजारों श्रद्धालुओं ने किए अंतिम दर्शन

कालावाली (डय्याली) सिरसा में शाह मस्तानाजी बलूचिस्तान डेरा जगमालवाली के प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब के पार्थिव शरीर को शुकवार दोपहर बाद डेरा प्रांगण में समाधि दी गई है, जिसमें विरासत में गद्दी का दावा करने वाले गुट के सदस्य नहीं आए हैं। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। डेरा में



हजारों श्रद्धालु दोपहर बाद तक संत के दर्शन करते रहे।

घोषणा जिस शहर में झूठी है, वहां पति या पत्नी के नाम मकान तो नहीं मिलेगा सरकारी आवास

सभी प्रशासनिक सचिवों को वित्त विभाग ने लिखा पत्र चंडीगढ़ रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवासों में कब्जा जमाए बैठे कर्मचारी अब बाहर होंगे। इसके साथ उन कर्मचारियों को भी आवास छोड़ना पड़ेगा, जिनके पति या पत्नी के नाम उसी शहर में मकान है। यानी जिनके पास जिस शहर में उनकी झूठी है और वहां उनका खुद का मकान है तो उन कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिलेगा। पंचकूला व चंडीगढ़ के मामले में यह दायरे ट्राई सिटी यानी पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली तक का माना जाएगा। वित्त विभाग के एसोसिएट अनुलग्न रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है

कि सामने आया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं। किसी बहाने से नियमों को दरकिनारा कर सरकारी आवास में रह रहे हैं। कुछ कर्मचारियों के पास स्वयं या उनके पति या पत्नी के नाम पर उसी शहर में मकान होने के बावजूद वे सरकारी मकान भी लिए हुए हैं। यहां तक कि चंडीगढ़-पंचकूला के मामले में ट्राईसिटी में भी इसी प्रकार घर होने के बावजूद उन्होंने सरकारी आवास लिया हुआ है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इससे भी आगे कुछ कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ रहे हैं। 58 के बाद भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होने का दावा करते हुए गलत तरीके से सरकारी आवास लिए हुए हैं।

संघ पीएम

चंडीगढ़ उच्च शिक्षा सोसायटी

स्नातकोत्तर सरकारी कॉलेज, सेक्टर-46, चंडीगढ़

(सीएचईएस- पीजीसी46)

06.08.2024 को सुबह 10:00 बजे ऑन-इन-इंटरव्यू

पंजाब के प्रबंधन, इतिहास संस्कृति (शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पूरी तरह से अस्थायी आधार पर) के विषयों में पढ़ाने के लिए शिक्षण संकाय के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता, रिक्तियों की संख्या, पारिश्रमिक, बैंक-इन-स्टैट्यूट ऑफ़ि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.upsoc-46.ac.in पर जाएं।

अध्यक्ष/प्राचार्य

SHORT TERM TENDER NOTICE

Sealed tenders on item rate basis are invited on behalf of the President, The Panchsheel Cooperative House Building Society Ltd, office at H. No. 710, Telephone Exchange Colony, Zirakpur up to 5:00 PM on 20.08.2024 for the following works in the residential colony 'AJITGARH' near Aizpurtila plaza on Zirakpur-Pataisa Road.

| Sr. No. | Name of the work | Approx. Amount (In Lacs) | Earnest Money (In Lacs) | Cost of Tender (In Rs.) | Time Limit (In days) |
|---------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Providing & Laying of drainage along with road gully and main holes | 450.00 | 9.00 | 2000/- | 180 |
| 2 | Providing & fixing of pavers (80 mm) in various parking approx 12000 sq.mtr | 125.00 | 2.50 | 2000/- | 45 |
| 3 | Providing & laying of sewage crossing Mains | 60.00 | 1.20 | 2000/- | 60 |
| 4 | Providing & laying/maintenance treated water supply Lines alongwith chambers and pump house | 35.00 | 0.70 | 2000/- | 45 |
| 5 | Construction of rain harvesting well 02 Nos., construction of underground water tank 1 lac lit | 11.00 | 0.22 | 1000/- | 45 |
| 6 | Construction of main holes on water lines for sluice valves | 8.00 | 0.16 | 1000/- | 45 |
| 7 | Construction of Brick retaining Wall | 8.00 | 0.16 | 1000/- | 45 |
| 8 | Construction of bore well 500 ft deep | 6.00 | 0.12 | 1000/- | 30 |

NOTE:-

- Tenders can be obtained from the society's office from 09:00 AM to 05:00 PM on any working day and must be submitted on or before 20.08.2024 till 5:00 PM.
- Complete profile of company of tenderer/Contractor shall be required with request letter for issue of tender.
- Prequalification bid and financial bid should be in separate sealed envelope.
- Earnest money shall be deposited in the shape of bank draft in favour of "The Panchsheel Cooperative House Building Society Ltd." and payable at any schedule bank at Chandigarh.
- Tender without earnest money will not be accepted.
- Other terms & conditions will be as per DNT.

Hoby, Secretary

सार्वजनिक सूचना

एक बच्ची लावारिस हालत में जीन्द, रेलवे जंक्शन पर दिनांक 31-07-2024 को 11:00 बजे मिली है। बच्ची अपना नाम चांदनी बता रही है, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है। बच्ची अपने पिता का नाम दिनेश व माता का नाम अंजली बता रही है। बच्ची हरिद्वार व लक्खर स्टेशन का नाम बता रही है परंतु अपने घर का सही पता बताने में असमर्थ है। जिसकी डी.डी. आर. नम्बर 16 रेलवे थाना, जाँद में दर्ज है। यदि उपरोक्त बच्ची के माता-पिता/अभिभावक को पता चले तो कृपया तुरंत पंचशाला जमाए बैठे।

चौडी, चंडीगढ़

अनारक्षण

ई-नीलागी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, विरिच संकलन वाणिज्य प्रभाषक, उत्तर रेलवे, अमाला जयन्ती द्वारा ई-नीलागी की जाएगी। जिसका विवरण सारणीबद्ध है-

| क्र. सं. | लोट/गरी एवं विवरण | ई-नीलागी का दिनांक | ई-नीलागी की तिथि और समय |
|----------|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | बटिडा, पटियाला, अमाला शहर और लखारनपुर रेलवे स्टेशनो पर 'ए' एल.डी. स्लिन द्वारा वाणिज्य विज्ञापन ठेका हेतु | UMB-RDN-D-01-24 | 16.08.2024 को 10:00 बजे |
| 2 | मिनाला, कालका, अमाला शहर, सरहिंद व बटिडा स्टेशनो के सार्कलिंग एरिया में होडिंग / मुनिसिपल द्वारा वाणिज्य विज्ञापन हेतु ठेका | UMB-OOH-ADV2-24 | 20.08.2024 को 10:00 बजे |

ई-नीलागी लीजिंग आमंत्रण सूचना, नीलागी प्रपत्र, एक बार पंजीकरण व अधिक जानकारी हेतु रेलवे वेबसाइट www.ineps.gov.in पर जाएं।

धातकी की सेवा में पुरकान के साथ

2381/24